

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 52/2021

1. आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर जरिये श्री भरत सिंह, प्राधिकृत अधिकारी ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री पप्पूराम गुर्जर पुत्र श्री मोहरसिंह गुर्जर निवासी चंदूसा, सिकराय हींगवा, दौसा, जयपुर, या ग्राम चंदूसा, तहसील सिकराय जिला दौसा या मिसल नंबर 13, पट्टा संख्या 15, नंदरी चांदूसा, सिकराय, दौसा राजस्थान (ऋणी)
2. श्रीमती केशनता पत्नि श्री पप्पूराम गुर्जर निवासी चंदूसा, सिकराय हींगवा, दौसा, जयपुर, या ग्राम चंदूसा, तहसील सिकराय जिला दौसा या मिसल नंबर 13, पट्टा संख्या 15, नंदरी चांदूसा, सिकराय, दौसा राजस्थान (सहऋणी)

3. श्री किशन लाल गुर्जर पुत्र श्री रामसहाय गुर्जर निवासी ग्राम चंदूसा तहसील सिकराय, दौसा जयपुर राजस्थान या किशन मिल्क डेयरी ग्राम चंदूसा तहसील सिकराय, दौसा जयपुर (राजस्थान) (जमानतदार)अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।
उपस्थित : श्री जितेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 12.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कंपनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणी श्री पप्पूराम गुर्जर पुत्र श्री मोहरसिंह गुर्जर निवासी चंदूसा, सिकराय हींगवा, दौसा, जयपुर, या ग्राम चंदूसा, तहसील सिकराय जिला दौसा या मिसल नंबर 13, पट्टा संख्या 15, नंदरी चांदूसा, सिकराय, दौसा राजस्थान को 641270/(रूपये छः लाख इकतालीस हजार दो सौ सत्तर मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जयपुर को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकितानुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा नंबर मिसल नंबर 13 व पट्टा संख्या 15, नंदरी चांदूसा तहसील सिकराय जिला दौसा जिसका क्षेत्रफल 438.66 वर्गगज जो कि ऋणी श्री पप्पूराम गुर्जर पुत्र श्री मोहरसिंह गुर्जर के नाम है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा